यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 84 / 2022 (2022 / 345)

गोविन्दा पुत्र श्री धन्ना कुमावत निवासी नयागांव बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

बनाम

. कमला पत्नि श्री कालू
. कल्याण पुत्र श्री छोगा
. भंवरलाल पुत्र श्री लादू
. राधा पत्नि श्री अम्बालाल
समस्त जाति कुमावत निवासीगण नयागांव बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

---अप्रार्थीगण

स्थित:–
1. श्री सीताराम कुमावत–प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री निर्मल चौधरी–अप्रार्थीगण अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 06/04/23

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम ागांव भू.अ.निरी. बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

ता संख्या नया पुराना		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	54	1380	0.97	बारानी 2
		किता 1	रकबा 0.97 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति व अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है तथा ना ही वास्ता एवं सरोकार है तथा उक्त आराजी का प्रार्थी ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है व काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की वाद वर्णित आराजीयात के चारों ओर डोल डली हुई है तथा पुरानी मेड बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायात 4 जो कि प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी है तथा प्रार्थी से ईर्ष्या रखते है तथा प्रार्थी की आराजीयात की डोल को नष्ट भ्रष्ट कर प्रार्थी की आराजीयात पर नाजायज एवं अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है एवं नाजायज तथा अवैध रूप से प्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहते है जिस कारण कभी भी लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। प्रार्थी दिनांक 05.06.2022 को अपनी आराजीयात की देखरेख हेतु खेत पर गया तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सभी एकराय होकर आये तथा प्रार्थी के खेत की फसल को नष्ट भ्रष्ट करके, प्रार्थी को आराजीयात से बैदखल करने की एलानिया धमकियां दी एवं लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नही करने, जबरन बेदखल नही करने, आराजीयात की मेड आदि को नष्ट भ्रष्ट नही करने एवं ना ही किसी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार से अवैध कब्जा करने आदि बाबत मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार –

प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 से 9 को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा मनघडन्त आरोप लगाकर झठा दावा पेश किया जाना जाहिर किया साथ ही निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1377 का पडौसी है तथा अप्रार्थीगण की आराजी पर अवैध कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठा दावा पेश किया है एवं आये दिन लडाई झगडा करता रहता है जिसके कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रखी है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वे वादवर्णित आराजीयात ग्राम नयागावं भू.अ.निरी. बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 51–54 कें खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.97 हैक्ट में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, तथा आराजीयात के मौके की यथा स्थिति बनायें रखें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner